

प्रेषक,

कै० कै० सिन्हा,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,  
फैजाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2010

विषय : वर्ष 2009-10 की बाढ़ में लगाई गई नाव के लम्बित किराए के भुगतान हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक- 3235/सीआरए-13 राहत/नाव किराया/2009-10 दिनांक 29-03-2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2009-10 में जनपद फैजाबाद में आयी बाढ़ के समय जनपद में लगाई गई नावों के लम्बित भुगतान हेतु रु० 1,53,170/- (रुपये एक लाख तिरपन हजार एक सौ सत्तर मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03- आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय वर्ष 2009-10 में जनपद फैजाबाद में आयी बाढ़ के समय जनपद में लगाई गई नावों के लम्बित किराए के भुगतान पर नियमानुसार की जायेगी।

4. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी, फैजाबाद यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

24  
[Signature]

अ. ग. 2-47

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।
7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/ 1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।
8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

के0 के0 सिन्हा

प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या-1487/1-10-2010-12(25)/2003, दिनांक दि0. 11.08.10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार- प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, फैजाबाद
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।
7. श्री संजय अग्रवाल, पीएस, एनआईसी को राहत वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(देश राज)

अनु सचिव